दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित : 27 जनवरी, 2014
निर्णीत : 29 जनवरी, 2014

आप.अ. 1095/2011

शहजाद उर्फ़ नदीम ..... अपीलार्थी

द्वारा : श्री ए.जे. भंभानी के साथ सुश्री लक्षिता सेठी और श्री अपूर्व चंदोला, अधिवक्तागण

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री एम.एन. डुडेजा, राज्य के लिए अति.लोक.अभि.।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

<u>न्या. एस.पी. गर्ग,</u>

1. सहज़ाद उर्फ़ नदीम ने चांदनी महल थाना में दर्ज प्राथमिकी सं. 88/2009 से उत्पन्न सत्र मामला सं. 58/2009 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 22.04.2010 के फैसले की वैधता और शुद्धता पर सवाल उठाया, जिसके द्वारा उन्हें भा.दं.सं. की धारा 394/398 के तहत दोषी ठहराया गया था। दिनांक 24.04.2010 के आदेश द्वारा उन्हें भा.दं.सं. की धारा 398 के

तहत 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ-साथ सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. अपीलार्थी के खिलाफ आरोप था कि 25.09.2009 को अपराह्न लगभग 11.00 बजे दुकान नंबर 18, डी.डी.ए. मार्केट, तुर्कमान गेट, दिल्ली में, उसने एक घातक हथियार से लैस होकर शिकायतकर्ता इकरामुद्दीन से 20,000/- रुपये लूटने का प्रयास किया और उसे घायल कर दिया। शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी को 20,000/- रुपये देने से इनकार कर दिया और और शोर मचाया। गश्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी अपीलार्थी को पकड़ने और उसके कब्जे से एक जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्तौल बरामद करने में सफल रहे। 25-26-09-2009 की रात को 1:10 बजे जांच अधिकारी द्वारा इकरामुद्दीन का बयान (प्र.अभि.सा.-1/ए) दर्ज करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तथ्यों से सुपरिचित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जांच पूरी होने के बाद अपीलार्थी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए 15 गवाहों से पूछताछ की। 313 बयान में, अपीलार्थी ने आरोपों से इनकार किया और झूठे अभिवाक दिए। उन्होंने बचाव में प्रति.सा.-1 (नसीम अख्तर) से पूछताछ की। सबूतों का मूल्यांकन करने और पक्षकारगण के विरोधी तर्क पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को पहले उल्लिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराया। व्यथित होकर अपील की गई है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने सबूतों की उचित और सच्चे परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया और इच्छुक गवाह

की गवाही पर भरोसा करके गंभीर त्रुटि की, जिसके साथ झगड़ा हुआ था और अपीलार्थी सहित सभी को चोटें आई थीं। अपीलार्थी को उसके पड़ोस में रहने वाले शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस की मिलीभगत से झूठा फंसाया गया था। अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विभिन्न असहमतियों और विसंगतियों की ओर इशारा किया। शिकायतकर्ता अभि.सा.-1 (इकरामुद्दीन) पुलिस द्वारा बरामद पिस्तौल की पहचान करने में असमर्थ रहा। अभि.सा.-3 (मोहम्मद इमरान) मुकर गया और महत्वपूर्ण तथ्यों पर अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया। अपराध के हथियार को न्यायालय में अभियुक्त को पेश करते समय विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया था। चिकित्सा विधिक मामला में हमलावर का नाम दर्ज नहीं किया गया। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने गवाहों और अभियुक्तों के आचरण को देखा है जो क्षेत्र के बदमाश थे और कई आपराधिक मामलों में शामिल थे। शिकायतकर्ता की गवाही को खारिज करने का कोई ठोस कारण नहीं है।

4. यह घटना लगभग रात के 11.00 बजे शिकायतकर्ता के दुकान पर हुई। इकरामुद्दीन (प्र.अभि.सा.-1/ए) का बयान दर्ज करने के बाद उसी रात 01.10 बजे तत्परता से प्राथमिकी दर्ज की गई। शिकायत में इकरामुद्दीन ने घटना का विस्तृत विवरण दिया और बताया कि कैसे और किन परिस्थितियों में, अभियुक्त ने उससे पिस्तौल की नोक पर अपने भाई को रिहा करने के बहाने 20,000/- रुपये वसूलने का प्रयास किया, जो एक आपराधिक मामले में शामिल था और जेल में बंद था। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो उसे पिस्टल के 'बट' से मारा।

उसके शोर मचाने पर, अपीलार्थी ने मौके से भागने की कोशिश की 'लेकिन' गश्त ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। उसके कब्जे से देसी पिस्तौल बरामद हुई और उसे खोलने पर उसमें जिंदा कारतूस मिला। अभि.सा.-1 के रूप में पेश होने के दौरान, शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए गए बयान को बिना किसी बड़े बदलाव के जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर साबित किया। उसने गवाही दी कि दिनांक 25-09-2009 को रात्रि लगभग 11:00 बजे वह अपने मित्र इमरान के साथ अपनी दुकान संख्या 18, डी.डी.ए. मार्केट, तुर्कमान गेट, दिल्ली पर मौजूद था। अभियुक्त नदीम उसकी दुकान पर आया, एक कट्टा निकाला, उसकी तरफ तान दिया और उसे अपने छोटे भाई को छुड़ाने के लिए 20,000 रुपये देने के लिए कहा। उसने उसके चेहरे पर कट्टा मारा और उसकी दाहिनी आंख के नीचे चोट लगी। फ़र्द मकबूज़गी (प्र.अभि.सा.-1/बी) के तहत देशी पिस्तौल बरामद की गई थी। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने न्यायालय से गवाह से प्रति-परीक्षा करने की अनुमति मांगी क्योंकि वह घटना का विवरण नहीं दे सका। प्रति-परीक्षा में उसने स्वीकार किया कि अपीलार्थी का भाई जो जेल में बंद था, वह नईम था। उसने स्वीकार किया कि जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो अभियुक्त ने उसे पिस्तौल के 'बट' से मारा। बीच-बचाव करने पर उसके दोस्त इमरान को भी धक्का दिया गया। गवाह ने बताया कि वह बहुत तनाव में था और बरामद की गई हथियार के माप को बताने की स्थिति में नहीं था। प्रति-परीक्षा में, उन्होंने विस्तार से बताया कि नदीम के साथ बातचीत लगभग 5-10 मिनट तक जारी रही। उन्होंने स्वीकार किया कि नदीम ने उन्हें यह नहीं बताया था कि पैसे कहां पहुंचाए जाने

हैं। उसने स्वीकार किया कि वह अपीलार्थी के घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। पुलिस ने उसकी दुकान के बाहर से देसी पिस्तौल बरामद कर ली। जाहिर है, अपीलार्थी शिकायतकर्ता के बयान पर अविश्वास करने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति निकालने में असमर्थ था। प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्यों पर उनकी गवाही प्रति-परीक्षा में अविवादित और निर्विवाद रही। अभियुक्त ने मौके पर अपनी मौजूदगी से इनकार नहीं किया। शिकायतकर्ता को झूठा फंसाने के लिए कोई गुप्त मकसद नहीं बताया गया था क्योंकि उसकी उसके साथ कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी। द्वेष या दुश्मनी के अभाव में, उस क्षेत्र में अपनी दुकान चलाने वाले शिकायतकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह अचानक किसी निर्दोष को अपराध में घसीट लेगा। शिकायतकर्ता ने अपीलार्थी का उससे जबरन पैसे ऐंठने का विशिष्ट मकसद बताया।

5. अभि.सा.-3 (मोहम्मद इमरान) ने हालांकि अभियोजन का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया, फिर भी प्रसंगोचित समय पर दुकान के अंदर अपीलार्थी की उपस्थिति के बारे में शिकायतकर्ता के बयान की पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता और अपीलार्थी ने दुकान के अंदर बातचीत की थी और उसने उन्हें झगड़ते हुए देखा था। उन्होंने अपने और शिकायतकर्ता को चोट लगने के बारे में भी गवाही दी। अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रति-परीक्षा में, उसने स्वीकार किया कि जब इकरामुद्दीन और वह 'पकड़ो पकड़ो' चिल्लाया, तो पुलिस दुकान पर पहुंची और नदीम को पकड़ लिया। उसने विभिन्न मेमों अर्थात, प्र.अभि.सा.1/बी और अभि.सा.-1/सी पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया। अपीलार्थी ने प्रति-परीक्षा

में यह सवाल नहीं किया कि वह बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य के देर रात शिकायतकर्ता की दुकान पर क्यों गया था। यह सुस्थापित विधि है कि मुकर जाने वाले गवाह के साक्ष्य पर कम से कम उस हद तक भरोसा किया जा सकता है जिस हद तक उसने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया था।

6. अभि.सा.-4 (कांस्टेबल अजय रावत) जो सहा.उप.नि. सुरेंद्र और हैड कांस्टेबल नरेंद्र के साथ इलाके में गश्त ड्यूटी पर थे, ने रात करीब 11:00 बजे दाहिने हाथ में 'देसी कट्टा' के साथ आरोपी को पकड़ने के बारे में बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब उन्होंने और हैड कांस्टेबल नरेंद्र ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो वह गिर गया और शिकायतकर्ता- इकरामुद्दीन और उसके दोस्त इमरान की सहायता से बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। प्रति-परीक्षा में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने शाम को लगभग 06:00 बजे क्षेत्र में गश्त शुरू कर दी थी। उनकी प्रति-परीक्षा में कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता नहीं पाई गई। अभि.सा.-5 (सहा.उप.नि. सुरेंद्र सिंह) ने सभी प्रासंगिक तथ्यों पर उनकी गवाही की पुष्टि की। इन पुलिस अधिकारियों का अभियुक्तों को झूठा फंसाने का कोई गुप्त मकसद नहीं था, जो कई अन्य मामलों में शामिल थे।

7. शिकायतकर्ता की प्रत्यक्षदर्शी गवाही चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप है। घटना के तुरंत बाद सभी को लोकनायक अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.सा.-14/ए) ने रोगी इकरामुद्दीन के आने का समय रात 02.02 बजे (हैड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार द्वारा लाया गया) दर्ज किया है। अभिकथित विवरण में दर्ज है कि '25.09.2009 को रात 11 बजे हमला किया

गया' जैसा कि रोगी द्वारा बताया गया। चोटें साधारण प्रकृति की थीं। अभि.सा.-3 (इमरान) की भी चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.सा.-14/बी) के तहत जांच की गई और उसी समय शिकायतकर्ता के साथ उसे भी लोकनायक अस्पताल ले जाया गया। यह मौके पर शिकायतकर्ता के साथ उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। अभियुक्त, जो गिरने के कारण घायल हो गया था, को सुबह 04.58 बजे उक्त अस्पताल ले जाया गया और पाया गया कि उसे मामूली चोटें आई हैं। अभियुक्त ने यह नहीं बताया कि उसे कैसे और किन परिस्थितियों में चोटें आईं।

8. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उजागर की गई छोटी-मोटी विसंगतियाँ, विरोधाभास या सुधार अभियोजन मामले के मूल को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। शिकायतकर्ता की गवाही आत्मविश्वास को प्रेरित करती है और अपीलार्थी को बिना किसी संदेह के फंसाती है। अभियुक्त ने अपने खिलाफ साबित हुई आपत्तिजनक परिस्थितियों का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया। प्रति.सा.-1 ने किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ उसे मामले में झूठा फंसाने की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। यह फैसला सबूतों के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित है और सभी प्रासंगिक दलीलों पर विचार की गई है। दोषसिद्धि पर विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 398 के तहत निर्धारित सात साल की न्यूनतम सजा दी गई है जिसे कम या बदला नहीं जा सकता है। सजा आदेश में दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी 21 आपराधिक मामलों में शामिल था। अभियोजक द्वारा प्रस्तुत डी.डी. सं. 32/ए से पता चला कि विचारण के दौरान उसका आचरण भी हिंसक था और

उसने दिनांक 20-04-2010 को कांस्टेबल अजय के साथ लड़ाई की थी। सजा आदेश में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि 10,000/- रुपये के जुर्माने का भुगतान छह महीने के बजाय एक महीना में करना होगा। सजा के अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित है।

9. अपील का निपटान उपर्युक्त शर्तों पर किया जाता है। विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए। आदेश की प्रति जेल अधीक्षक को सूचनार्थ भेजी जाए।

(एस.पी. गर्ग)
न्यायाधीश

जनवरी 29, 2014
एस.ए.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*